राजस्व अपील संख्या 173/2022

अनवान

पूंजराज सिह वगैरा बनाम तहसीलदार सेखाला वगैरा ओसियां

दिनांक 18 –04–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या .../2022 अनवान सरकार बनाम समस्त गांव पाबूनगर मे पारित आदेश दिनाक 22–2–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है ।

वकील अपीलांट श्री मनोहर सिह शेखावत उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–2–2022 का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर मनन किया ।

अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने अपीलाधीन आदेश अन्तर्गत धारा 131,132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानो का बिलकुल गलत अर्थ निकाल कर अपीलार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मे से मौका फर्द दिनांक 8–11–2021 के आधार पर गै.मु.रास्ता दर्ज करने बाबत आदेश पारित कर दिया, जबकि पटवारी द्वारा तैयार की गई मौका फर्द दिनांक 2–2–2022 मे अपीलांट के खसरा नंबर 70 मे मौके पर कोई रास्ता नही चलना बताया गया था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा अपीलांट की उपस्थिति मे मौका फर्द तैयार किये अपीलांट के खातेदारी मे से उसके खातेदारी की भूमि का रकबा कम करने का आदेश पारित कर दिया जो कानूनन गलत है तथा कथन किया कि धारा 131, व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे किसी खातेदार की भूमि मे रकबे को कम या अधिक करने एवं नक्शे मे स्वःप्रेरणा से परिर्वतन करने का प्रावधान नही

है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि
एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अनसुार भी
मे राजस्व रेकर्ड मे अगर कोई परिर्वतन किया जाता है तो
को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ
इसकी पालना किये बिना ही जो अपीलाधीन आदेश पारित
नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय
आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलाट ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण के खातेदारी खेत खसरा नंबर 70 मे ट्यूब वेल बना हुआ है जिससे अपीलाट सिंचाई करता है तथा प्रार्थीगण के खेत मे जो रास्ता बजाया गया है वहा अपीलांट की फसल खडी हुई है तथा अपीलाधीन भूमि पर मौके पर ढाणी, पशुबाडा व शौचालय आदि बने हुए है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलान्ट ने प्रथमतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–2–2022 की पालना एवं प्रभाव को रोके जाने का निवेदन किया तथा विकल्प मे यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–2–2022 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर,, मौका की जांच करवाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

हमने अपील अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एव पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्रादि का अवलोकन एव अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–2–2022 जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत एवं विधिविरूद्ध होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–2–2022 मे इस आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट खातेदार को सुनवाई का नोटिस जारी कर, उसे सुनकर, उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण आदि कार्यवाही एक माह मे सम्पादित करते हुए अपीलान्टगण के खातेदारी की भूमि मे से रास्ते के सम्बध मे पुनः विधिसम्मत

निर्णय पारित करे। तब तक अपीलाधीन आदेश मे उल्लेखित अपीलान्टगण के खातेदारी ग्राम पाबूनगर पटवार मण्डल बारनाऊ के खसंरा नंबर 70 के सम्बध मे किसी तरह की कार्यवाही नही करे। अतिरिक्त इस निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर